उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या–308 /XVIII(1)/2019-04/2008
देहरादून: दिनांक: 09 मार्च, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 यथा संशोधित नियमावली, 2010 एवं 2015 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–20 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 के भाग–छः नियम–20 के उप नियम (3) के पश्चात उप नियम (4)(5)(6) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

		स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियुक्ति अस्थाई / स्थानापन्न	20(4)		जो अस्थायी रिक्तियां जिनका छः सप्ताह से अधिक चलना सम्भाव्य न हो, जिलाधिकारी (District Officer) द्वारा सूचीबद्ध अभ्यर्थी की नियुक्ति से भरी जा सकेगी, यदि वह जिले में उपलब्ध हो, लेकिन यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध सर्वाधिक उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।
	20(5)		जो रिक्तियां छः सप्ताह से अधिक किन्तु तीन महिने से कम चलने वाली हो, उन पर जिला अधिकारी (District Officer) किसी भी सूचीबद्ध अभ्यर्थी को, यदि वह जिले में उपलब्ध हो, नियुक्त कर सकता है। यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उसकी सूचना आयुक्त को दी जायेगी, जो यदि सम्भव हो तो, डिविजन के किसी अन्य जिले से सूचीबद्ध अभ्यर्थी को नियुक्त करेगा। यदि डिविजन में कोई सूचीबद्ध अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो आयुक्त उपलब्ध सबसे उपयुक्त कर्मचारी को नियुक्त करेगा या जिला अधिकारी को ऐसा करने का अधिकार देगा।
	20(6)		तीन मास से अधिक चलने वाली सभी रिक्तियों की पूर्ति आयुक्त की रिपोर्ट पर परिषद् द्वारा की जायेगी। परन्तु अस्थाई / स्थानापन्न पदोन्नति की व्यवस्था नियमित नियुक्ति होने तक केवल एक बार के लिए ही लागू होगी।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)

U.O.Letter

पत्रांक-1658 / दि0 13-03-19

DRC(LS) 13/3/19

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–1

संख्या–309 / XVIII(1)/2019-04/2008

देहरादूनः दिनांकः 09 मार्च, 2019

अधिसूचना संख्या–308 / XVIII(1)/2019-04/2008 दिनांक 09.03.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढवाल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
8. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया उक्त अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 (सौ) प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)

U.O.Letter